# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 61/2020

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 01.निधी गहलोत पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी मेड़ती गेट के अन्दर, जोधपुर, राजस्थान | | 01. गंगादेवी पत्नि श्री मोतीरामजी, जाति जाट, निवासी थोरीयों की ढाणी, पाल, जोधपुर<br>02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर । |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा ।
2. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

दिनांक :- 24/9/2021

**आदेश**

पत्रावली आज पेश हुई । वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी में प्रार्थीनी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 54/10 रकबा 08 बीघा आयी हुई स्थित हैं जो कि परिशिष्ट 'क' संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ए से एफ भाग की जायदाद हैं । परिशिष्ट क में लाल रंग से अंकित ई से एफ व जी से एच भाग जो कि रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा को अतिकमण के रूप में अंकित किया गया हैं । परिशिष्ट क संलग्न नजरी नक्शा अनुसार लाल रंग से दर्शाये गये भाग पर प्रार्थीनी के कथनाअनुसार अप्रार्थी संख्या एक का अतिकमण हैं उसे बेदखल करने हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त रकबे की भूमि के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे जाने तथा प्रार्थी के हक हिस्से की जायदाद में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कोई दखलअंदाजीव व्यवधान उत्पन्न नहीं किये जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

पत्रावली पेश होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए अपना किसी प्रकार का कोई अतिकमण प्रार्थी की भूमि में नहीं होना बताया गया एवं यह भी लिखा कि यदि प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 54/2 रकबा 12 बीघा एवं खसरा संख्या 54/26 रकबा 16 बिस्वा यानि कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा से अधिक भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा हैं तो वह हटाने हेतु तैयार हैं ।

बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 54/10 रकबा 08 बीघा कृषि भूमि मौके पर उपलब्ध ही नहीं हैं तथा रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि मौके पर कम हैं । उक्त रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा से भी अधिक अप्रार्थी संख्या एक का मौके पर रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिक हैं जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हैं । प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट क संलग्न किया गया हैं उसके अनुसार प्रार्थीनी मौके पर काबिज हैं तथा हाल ही में ऑनलाईन जो तरमीम दर्ज की गयी चूंकी वह प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार नहीं हुई हैं लेकिन उक्त तरमीम को हम सही मानते हैं । पूर्व में राजस्व नक्शें में प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरें की कोई तरमीम ही दर्ज नहीं थी जिसके अभाव में यह प्रमाणित नहीं हो सका था कि किस खातेदार द्वारा प्रार्थी के खसरें की रकबा 08 बीघा भूमि पर कब्जा किया गया हैं जिससे मौके पर प्रार्थी की भूमि पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी